कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड
लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश (देहरादून)

पत्रांक /   दिनांक, 19 / 01 / 2018.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वनप्रभाग मसूरी,
देहरादून।

विषयः— **मानानीय मुख्यमंत्री घो0सं0 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.01 हैं0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भः— **आपका पत्रांक 2368/12—1, दिनांक, मसूरी, 03/01/2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना हैं कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वांछित 3.01 हैं0 वन भूमि के बदले दुगने अवनत क्षेत्र 6.02 है0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम द्वारा चयनित किया गया हैं जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 45/12 ए0—7(2017—20)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 06.11.2017 के द्वारा उक्त सिविल भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु उपजिलाधिकारी सदर को पत्र लिखा गया हैं। उक्त मार्ग निर्माण हेतु दिनांक 17.01.2018 को राजस्व विभाग, वन विभाग व लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सिविल भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। वन विभाग की ओर से श्री के0पी0 वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वनप्रभाग राजस्व विभाग की ओर से श्रीमती मीनाक्षी कठैत राजस्व उप निरीक्षक लो0नि0वि0 की ओर से श्री राजेन्द्र टम्टा सहायक अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया, तथा उक्त सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त पाया गया।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि उक्त मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने की कृपा करें ताकि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
ऋषिकेश

पत्रांक 48 / 230   दिनांक, / /2018.

प्रतिलिपि :—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता /अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
ऋषिकेश